संख्या-4/2016 /1990-57-2023-1-जी-2021 टी.सी.-।

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

धर्मार्थ कार्य विभाग,

उत्तर प्रदेश, वाराणसी/आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी,

उ0प्र0 वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य विभाग लखनऊ : दिनांक 03 नवम्बर, 2023

विषय:- जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुँच मार्ग योजना के अन्तर्गत सहादतगंज- नयाघाट मार्ग के किमी0 11.00 से सुग्रीव किला होते हुए श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर तक लम्बाई-0.580 किमी0 (जन्मभूमि पथ) के निर्माण हेतु पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र संख्या-3534/2सी, दिनांक 18.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो शासन को सम्बोधित है तथा आपको पृष्ठांकित है, द्वारा जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुँच मार्ग योजना के अन्तर्गत सहादतगंज-नयाघाट मार्ग के किमी0 11.00 से सुग्रीव किला होते हुए श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर तक लम्बाई-0.580 किमी0 (जन्मभूमि पथ) के निर्माण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

हेतु पुनरीक्षित धनराशि रू0 4102.27 लाख के सापेक्ष निर्माण मद में धनराशि रू0 11.31 करोड. आवंटित/स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में उल्लेख करना है कि प्रश्नगत मार्ग का निर्माण किये जाने एवं भूमि/भवन क्रयहेतु शासनादेश संख्या-528/57-2021-2(जी)/2021, दिनांक 13.07.2021 द्वारा धनराशि रू0 7331.75 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए भूमि क्रय के मद में प्रथम किश्त के रूप में रू0 2327.64 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। बाद में प्रायोजना को पुनरीक्षित करते हुए शासनादेश संख्या-856-57-2022-1(जी)/2021टी.सी.-1, दिनांक 10.08.2022 द्वारा रू0 3943.00 लाख जी0एस0टी0 सहित की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-878-57-2022-1(जी)/2021टी.सी.-1, दिनांक 11.08.2022 द्वारा निर्माण मद में प्रथम किश्त के रूप में रू0 390.88 लाख, शासनादेश संख्या-1582/57-2022-1-जी-2021टी.सी.-1, दिनांक 13.01.2023 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 298.29 लाख तथा शासनादेश संख्या-470-57-2023-1-जी-2021टी.सी.-1, दिनांक 20.03.2023 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 797.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। तदोपरांत शासनादेश संख्या-I/362665/2023, दिनांक 04.08.2023 द्वारा परियोजना को पुनः पुनरीक्षित करते हुए लागत रू0 4102.27 लाख जी0एस0टी0 सहित की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त पुनः पुनरीक्षित परियोजना में निर्माण कार्य हेतु रू0 2617.27 लाख एवं भूमि अधिग्रहण हेतु रू0 1485.00 लाख निर्धारित है। इस प्रकार अब तक परियोजना में भूमि क्रय के मद में धनराशि रू0 2327.64 लाख तथा निर्माण मद में 1486.17 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- अतः इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अयोध्या के उक्त पत्र दिनांक 18.10.2023 द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुँच मार्ग योजना के अन्तर्गत सहादतगंज-नयाघाट मार्ग के किमी0 11.00 से सुग्रीव किला होते हुए श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर तक लम्बाई-0.580 किमी0 (जन्मभूमि पथ) के पुनः पुनरीक्षित लागत रू0 4102.27 लाख जी0एस0टी0 सहित में से निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत लागत रू0 2617.27 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1000.23 लाख (रूपये दस करोड़ तेईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती है:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग की होगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानिटरिंग भी की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग एवं मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 के अन्तर्गत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा एवं भविष्य में पुन: पुनरीक्षित लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।

(11) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का कार्यदायी संस्था द्वारा यदि कोई ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(14) इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-856-57-2022-1(जी)/2021टी.सी.-1, दिनांक 10.08.2022, शासनादेश संख्या-878-57-2022-1(जी)/2021टी.सी.-1, दिनांक 11.08.2022, शासनादेश संख्या-1582/57-2022-1-जी-2021टी.सी.-1, दिनांक 13.01.2023 एवं शासनादेश संख्या-470-57-2023-1-जी-2021टी.सी.-1, दिनांक 20.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-I/362665/2023, दिनांक 04.08.2023 में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी।

(15) कार्यदायी संस्था, लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(16) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

(17) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, सडक की लम्बाई एवं चौडाई में परिवर्तन, क्रस्टी डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग एवं विभागाध्यक्ष का होगा।

(19) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग निदेशालय, उ0प्र0 वाराणसी/आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार, वाराणसी से किया जायेगा। आहरण के उपरांत धनराशि जिलाधिकारी, अयोध्या को उपलब्ध करायी जायेगी।

(20) चूंकि परियोजना फसाड ट्रीटमेंट आदि के कार्यों को सम्मिलित करते हुये पुनः पुनरीक्षित की गयी है। शासनादेश संख्या-1521/57-2023-1(जी)/2021टी0सी0।।।, दिनांक 24.08.2023 द्वारा फसाड ट्रीटमेंट के कार्य हेतु अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। अतः फसाड ट्रीटमेंट हेतु प्राविधानित धनराशि अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या को हस्तान्तरित की जायेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,23,000 (रुपये दस करोड़ तेईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या**-084 **लेखा शीर्षक**-4250008000400 श्रीराम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग **मानक मद**-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

लक्ष्मण राम,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>संख्या-4/2016/1990(1)-57-2023-1-जी-2021 टी.सी.-। तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।

3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

4- जिलाधिकारी, अयोध्या।

5- नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।

6- उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।

7- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या।

8- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

9- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।

10- अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।

12-गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।